

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
आई.सी.डी.एस.,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग

देहरादून दिनांक: 14 दिसम्बर, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में मेडिसिन किट क्रय हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 242/मेडिसिन किट-115-III /2011-2012 दिनांक 25-10-2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 12926 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 3257 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु मेडिसिन किट तथा मिनी मेडिसिन किट के क्रय हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर कुल धनराशि रु0 75,03,377/- (रु0 पच्चेत्तर लाख तीन हजार तीन सौ सत्तर मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही यथा आवश्यकता नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

4. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मेडिसिन किट/मिनी मेडिसिन किट के क्रय हेतु धनराशि का भुगतान उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कृत कार्यवाही के क्रम में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 102 बाल कल्याण, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना, 0101-आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत मेडिसिन किट्स की आपूर्ति आदि विभिन्न योजनाओं के संचालन के अन्तर्गत मानद मद 31-सामग्री और सम्पूर्ति के नामे डाला जाएगा।

6. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 317 (P) /XXVII(3)/2011-12 दिनांक 13-12-2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।


भवदीय

(अमित सिंह नेगी)  
अपर सचिव

संख्या: 2359(1)/XVII(4)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
6. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
  
(प्रदीप जोशी)  
अनु सचिव